...यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–216/22

धारा–144 द0प्र0सं0

मो0 रेताज –बनाम– मो0 समसुदीन वगै0

–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :– | अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद कि कार्रवाई आवेदक के आवेदन एवं इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के आधार द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई दिनांक 20.09.2022 को प्रारंभ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– उज्जैन, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
9	851	14 डी0	उ0– अम्बीका सिंह द0– परती टांड पू0– रोड प0– कपील केशरी

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं इनके विज्ञ अधिवक्ता तथा उभय पक्षों के बयान से स्पष्ट है कि उभय पक्ष आपस में भाई है । प्रश्नगत भूमि आपसी बंटवारे में मिले भूमि को लेकर विवाद है ,चुकि मामला आपसी बंटवारा को लेकर है, जिसका निष्पादपन इस वर्तमान वाद के तहत किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। वादी प्रतिवादी चाहे तो मामले को सक्ष्म व्यवाहार न्यायालय में दायर कर निपटारा कर सकतें है। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 17:46:14 +05:30
Location: 192.168.101.238